11389/04-12-2020

दिनांक 27.11.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – संधारित।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत निदेशक–सह–सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति द्वारा किया गया। तदोपरांत बैठक के एजेंडा से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई :–

1. **गत् कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही (दिनांक 28.02.2020) के अनुपालन की स्थिति :–**

दिनांक–28.02.2020 को संपन्न कार्यकारिणी समिति, बी0पी0एम0यू0 की बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया।

2. **सोसाईटी कार्यालय के द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय पर घटनोत्तर स्वीकृति :–**

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP के अंतर्गत विभिन्न अवयवों में वित्तीय वर्ष–2019–20 से 2020–21 तक में किए गए व्यय से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया :–

Sl. No.	Head	Component	Amount
1	BPMU	Salary/ remuneration	1,308,750.00
2		Office Expenses (Recurring)	300,073.60
3		One time Office Expenses (Non-recurring)	0.00
4	DILRMP Cell	Management Overhead including hiring of vehicle for field exposure,etc	472,835.00
		Boading & lodging for Trainees	16,641.00
		Stationery & Consumables	754,327.00
		Miscellaneous	1,920,473.00
		Generetor set	598,663.00
		Faculty on Hire	108,500.00
		Library books and Training	181,350.00
5	DILRMP Project	Modern Record Rooms	189,080,000.00
		Survey /Resurvey	58,392,188.00
		Total (A)	**253,133,800.60**
6	Advances	BSRTC, Patna	700,800.00
		NICSI	1,028,062.00
		Total (B)	**17,28,862.00**
		Grand Total (A+B)	**25,48,62,662.60**

NLRMP/DILRMP के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में विभिन्न अवयवों में राज्यांश सहित व्यय की गई राशि 2531.338 लाख रूपये पर घटनोत्तर स्वीकृति एवं 17.28862 लाख रूपये मात्र अग्रिम भुगतान का, विहित प्रक्रिया का पालन कर शीघ्र सामंजन करने का निदेश दिया गया।

3. **DILRMP/NLRMP के बैंक खाता में संधारित ब्याज की राशि का व्यय :–**

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP/DILRMP के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में BPMU Saving Bank A/c में राशी जमा रहने पर बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज निम्न प्रकार दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

Interest accrued by PMU	: Rs. 772.71 lacs.
Interest accrued through BELTRON	: Rs. 733.19 lacs.
Total Interest amount	**: Rs. 1505.90 lacs.**

NLRMP/ DILRMP के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए राशि के व्यय से संबंधित प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में केन्द्रांश की राशि मात्र 280.64 लाख रूपये ही अवशेष है।

4. इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से बैंक के माध्यम से प्राप्त राशि के विरूद्व बैंक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि एवं अव्यवहृत राशि का कार्यहित एवं राज्यहित में तत्काल व्यय पर निम्न प्रकार निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया :–

4.1 Computrisation of Land Records :-

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों द्वारा चालु खतियान/रजिस्टर–2 का कम्प्यूटरीकरण का कार्य विभिन्न बाह्यस्त्रोत एजेंसी के माध्यम से कराया गया है। जिलों द्वारा कराये गए Computerisation कार्य में एकरूपता नहीं होने के कारण कम्प्यूटरीकृत डाटा का उपयोग नही हो पा रहा है। विभागीय समीक्षा के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि जिन जिलों द्वारा कैडेस्ट्रल खतियान, रिविजनल खतियान एवं चकबंदी खतियान को कम्प्यूटराईज्ड नहीं कराया गया है, इन जिलों के इन अधिकार अभिलेखों को कम्प्यूटराईज कराया जाय, ताकी केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP/DILRMP मार्गदर्शन के आलोक में भविष्य में Certified कम्प्यूटरीकृत अधिकार अभिलेख की प्रति रैयतो/नागरिकों को उपलब्ध कराया जा सकें।

इस कार्यक्रम अन्तर्गत जिलों को पूर्व से केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि चेक एवं आवंटन के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से व्ययोपरान्त कई जिलों में राशि अवशेष भी है। वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost (in lacks)	From 2008-09 to 31.03.2016 (Central sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Central sectoral Scheme) Percenlage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.18014/18/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CLR	5.00	100% GoI	100%	38	200.00	105.95	183.75	289.70	289.70	0.00

निर्णय :–

4.1.1 विमर्शोपरांत इस कार्य हेतु जिलों के पास अवशेष राशि एवं इस मद में उपलब्ध समेकित ब्याज की राशि से आवश्यकता अनुसार, इस निमित्त विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित दर के अन्तर्गत जिलों/मुख्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर राशि उपलब्ध कराते हुए, जमांबदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन कार्य के तर्ज पर, non-digitised कैडस्ट्रल/रिविजिनल/चकबंदी खतियानों का कम्प्यूटराजेशन का कार्य कराने का निर्णय लिया गया।

4.1.2 इस कार्य हेतु जमाबंदी के कम्प्यूटराईजेशन कार्य के तर्ज पर श्रम संसाधन विभाग द्वारा कुशल मजदूर के लिए निर्धारित दर प्रतिदिन 370/– देय होगा, किन्तु उसके लिए न्यूनतम 150 खतियान के शुद्ध प्रविष्टियाँ किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य शर्त जमाबंदी पंजी कम्प्यूटराईजेशन के अनुरूप ही होगा।

4.2 अंचल स्तरीय डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार

इस योजना के अन्तर्गत राजय के सभी अंचल कार्यालयों में आधुनिक अभिलेखागार एवं डाटा सेन्टर के लिए आधुनिक उपकरणों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु 25.00 लाख (मैचिंग ग्राण्ट) एवं 2.20 लाख (केन्द्रांश) प्रति अंचल की दर से स्वीकृत किया गया है।

पूर्व में बेल्ट्रॉन, पटना के माध्यम से राज्य के 143 अंचल कार्यालयों में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार के लिए आधुनिक उपकरण की आपूर्ति वर्ष 2013–14 में करायी गई है। उक्त उपकरणों के कार्यकारी नहीं रहने के कारण में वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के राज्य के 163 अंचल के डाटा केन्द्र –सह–आधुनिक अभिलेखागार के लिए आधुनिक उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि हेतु जिलों को राशि आवंटित/उपलब्ध कराया गया है।

राज्य के 436 अंचल कार्यालयों में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष में 28 अंचलों को छोड़कर सभी अंचल में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्णित परिस्थिति में राज्य के (436–163)= 273 अंचलों के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राशि जिलो को उपलब्ध कराना विचानीय है। वर्तमान में, निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार, वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost (in lacks)	From 2008-09 to 31.03.2016 (Cental sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Cental sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.18014/18/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anchal MRR	25.00	50% GoI - 50% GoB	100%	534	6075.00	3104.71	1.25	3105.96	3105.96	0.00
Anchal DC	2.20	100% GoI	100%	534	981.20	493.82			56.91	
Total					7056.20	3598.53				

निर्णय :–

4.2.1 इस कार्यक्रम के लिए आवंटन/बजट में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त इस मद के लिए समेकित ब्याज की राशि में से निदेशालय द्वारा निर्धारित दर 16.10 लाख की दर से तत्काल सभी जिलों के मात्र 49 अंचलों के लिए राशि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त राशि से राज्य के अन्य अंचलों में निर्मित डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार को भी शीघ्र कार्यकारी बनाने के उद्देश्य से आवश्यक उपस्कर एवं उपकरण इत्यादि की आपूर्ति कराने का निदेश दिया गया।

4.2.2 भारत सरकार द्वारा इस मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत किए गए कुल 7056.20 लाख रूपये में से विमुक्त राशि 3598.53 लाख रूपये के बाद अवशेष राशि 3457.67 लाख रूपये की मांग भारत सरकार से करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुसार अवशेष/छूटे हुए यूनिट के लिए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

4.2.3 यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के वैसे अंचल जहां डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार निर्माण हेतु स्थल/जमीन उपलब नहीं है वैसे अंचलों के लिए जिला पदाधिकारी/समाहर्त्ता के माध्यम से डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार हेतु तत्काल भाड़े पर मकान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय, एवं इसके लिए राशि प्रावधानित की जाय।

4.2.4 अंचल स्तर पर निर्मित डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार का मुख्य उद्देश्य अधिकार अभिलेखों को संधारित रखने एवं इसकी प्रति आम नागरिकों/रैयतों को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि अभिलेखागार में संधारित कम्प्यूटरीकृत/डिजिटाईज्ड राजस्व अभिलेखों/अधिकार अभिलेखों की प्रति आम नागरिकों/रैयतों को उपलब्ध कराने संबंधी दिशानिर्देश/नियम इत्यादि तैयार किया जाय। इस निमित्त विभाग स्तर से दिशानिर्देश/नियम इत्यादि तैयार करने का निर्णय लिया गया।

4.3.1 <u>जिला स्तरीय डाटा केन्द्र</u> :–

इस कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जिला डाटा केन्द्र हेतु 8.50 लाख रूपये प्रति जिला की दर से राशि स्वीकृत की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर आधुनिक उपकरण/उपस्कर इत्यादि अधिष्ठापित कराते हुए डाटा सेन्टर का कार्यकारी बनाने का निदेश है।

जिला एवं अनुमण्डल स्तर के डाटा सेन्टर में आवश्यक आधुनिक उपकरण/उपस्कर अधिष्ठापन की कार्रवाई की जाती है, तो इन डाटा सेन्टर के संचालन/क्रियान्वयन हेतु एक–एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की भी आवश्यकता होगी। वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost (in lacks)	From 2008-09 to 31.03.2016 (Cental sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Cental sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.18014/05/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DDC	8.50	100% GoI	100%	38	178.50	94.83	-34.605		75.61	

निर्णय :–

4.3.1.1 तत्काल भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर आवश्यक उपकरणों/उपस्करों इत्यादि का Specification निर्धारित करते हुए पायलट के आधार पर नालंदा जिला में डाटा सेन्टर स्थापित करने हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि तथा इस मद के लिए समेकित ब्याज की में से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। तदोपरांत इसके आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

4.3.1.2 भारत सरकार द्वारा इस मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत किए गए कुल 178.50 लाख रूपये में से विमुक्त राशि 94.83 लाख रूपये के बाद अवशेष राशि 83.67 लाख रूपये की मांग भारत सरकार से करने का निदेश दिया गया।

4.3.1.3 इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुसार अवशेष/छूटे हुए यूनिट के लिए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

4.3.2 अनुमण्डल स्तरीय डाटा केन्द्र :–

इस कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमण्डल स्तरिय डाटा केन्द्र हेतु 1.00 लाख रूपये प्रति जिला की दर से राशि स्वीकृत की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर आधुनिक उपकरण/उपस्कर इत्यादि अधिष्ठापित कराते हुए डाटा सेन्टर का कार्यकारी बनाने का निदेश है।

जिला एवं अनुमण्डल स्तर के डाटा सेन्टर में आवश्यक आधुनिक उपकरण/उपस्कर अधिष्ठापन की कार्रवाई की जाती है, तो इन डाटा सेन्टर के संचालन/क्रियान्वयन हेतु एक–एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की भी आवश्यकता पर सकती है। वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost (in lacks)	From 2008-09 to 31.03.2016 (Cental sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Cental sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.18014/18/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
State Data Centre	1.00	100% GoI	100%	101	98.00	49.89			16.06	

निर्णय :–

4.3.2.1 तत्काल भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर आवश्यक उपकरणों/उपस्करों इत्यादी का Specification निर्धारित करते हुए राज्य के सभी अनुमण्डल कार्यालय में डाटा सेन्टर स्थापित करने हेतु राशि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि तथा इस मद के लिए ब्याज की राशि से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

4.3.2.2 भारत सरकार द्वारा इस मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत किए गए कुल 98.00 लाख रूपये में से विमुक्त राशि 49.89 लाख रूपये के बाद अवशेष राशि 48.11 लाख रूपये की मांग तथा भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुसार अवशेष/छूटे हुए यूनिट के लिए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयारकर भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

4.4 DILRMP/NLRMP Cell :-

भारत सरकार द्वार इस योजना के अन्तर्गत NLRMP Cell के लिए 245.575 लाख रूपये राशि स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्व 117.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के निदेशानुसार Inter Component Fund Transfer के आधार पर कुल 177.36 लाख रूपये का व्यय अब तक किया जा चुका है। NLRMP Cell अन्तर्गत विभिन्न Component अर्थात Capacity Building Programe/ Training/ Information, Education, Communication (IEC) इत्यादि के लिए राशि व्यय करने का प्रावधान है। वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost (in lacks)	From 2008-09 to 31.03.2016 (Cental sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Cental sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.18014/18/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NLRMP Cell	-	245.575	100%	1	245.575	117.00	60.36	177.36	177.36	0.00

निर्णय :–

4.4.1 भारत सरकार द्वारा NLRMP Cell के अन्तर्गत विभिन्न Component में राशि का व्यय बैंक खाता में संधारित समेकित ब्याज की राशि से व्यय करने का निर्णय लिया गया।

4.4.2 भारत सरकार द्वारा इस मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत किए गए कुल 245.575 लाख रूपये में से विमुक्त राशि 117.00 लाख रूपये के बाद अवशेष राशि 128.58 लाख रूपये की मांग भारत सरकार से करने का निदेश दिया गया।

4.4.3 इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुसार अवशेष/छूटे हुए यूनिट के लिए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

4.5 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम :–

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP के अन्तर्गत अधिकार अभिलेखों को अद्यतन एवं कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से देश के सभी राज्यों में सर्वे/री–सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। बिहार राज्य में भी इस योजना के अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य हेतु वाह्यस्त्रोत एजेंसी के माध्यम से Hybrid Method से कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।

चयनित एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गए विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का जमीनी सत्यापन बन्दोबस्त कार्यालय के कर्मियों एवं एजेंसी के कर्मियों के सहयोग से कराया जा रहा है। एजेंसी द्वारा विभिन्न जिलों में किए गए कार्यों के विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के अनुसार विपत्र समर्पित किया जाता है, जिसका भुगतान निदेशालय स्तर से विभिन्न स्तरों से प्रतिवेदन प्राप्त कर किया जाता है। वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost	From 2008-09 to 31.03.2016 (Cental sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Cental sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.18014/18/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Survey	16000 Sq Km	50GoI-50GoB%	100%		5624.53	2471.89	-162.30	2309.59	2076.00	233.59

वर्तमान में चयनित एजेंसियों द्वारा तीसरे चरण के भुगतान हेतु विपत्र समर्पित किया गया है, जिसके भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

निर्णय :–

4.5.1 इस योजना के अन्तर्गत एजेंसी द्वारा समर्पित विपत्र का भुगतान आवश्यकतानुसार DILRMP/NLRMP Project में उपलब्ध राशि एवं इस मद में उपलब्ध समेकित ब्याज की राशि से करने का निर्णय लिया गया।

4.5.2 भारत सरकार द्वारा इस मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत किए गए कुल 5624.53 लाख रूपये में से विमुक्त राशि 2471.83 लाख रूपये के बाद अवशेष राशि 3152.64 लाख रूपये की मांग भारत सरकार से करने का निदेश दिया गया।

4.5.3 इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुसार अवशेष/छूटे हुए यूनिट के लिए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयारकर भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

4.6 राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन :–

NLRMP/DILRMP के अन्तर्गत बिहार राज्य के समस्त राजस्व ग्रामों से संबंधित राजस्व मानचित्र जो बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग में उपलब्ध था, का डिजिटाईजेशन कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अनुसार कुल 135865 राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य पूर्ण हो गया है। पूर्व में पायलट परियोजना अन्तर्गत शाहाबाद क्षेत्र के 04 जिला तथा मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल के मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य मे0 विजन लैब, हैदराबाद के माध्यम से कराया गया था जो

4.5 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम :–

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP के अन्तर्गत अधिकार अभिलेखों को अद्यतन एवं कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से देश के सभी राज्यों में सर्वे/री–सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। बिहार राज्य में भी इस योजना के अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य हेतु वाह्यस्त्रोत एजेंसी के माध्यम से Hybrid Method से कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।

चयनित एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गए विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का जमीनी सत्यापन बन्दोबस्त कार्यालय के कर्मियों एवं एजेंसी के कर्मियों के सहयोग से कराया जा रहा है। एजेंसी द्वारा विभिन्न जिलों में किए गए कार्यों के विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के अनुसार विपत्र समर्पित किया जाता है, जिसका भुगतान निदेशालय स्तर से विभिन्न स्तरों से प्रतिवेदन प्राप्त कर किया जाता है। वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost	From 2008-09 to 31.03.2016 (Cental sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Cental sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.18014/18/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Survey	16000 Sq.Km	50GoI-50GoB%	100%		5624.53	2471.89	-162.30	2309.59	2076.00	233.59

वर्तमान में चयनित एजेंसियों द्वारा तीसरे चरण के भुगतान हेतु विपत्र समर्पित किया गया है, जिसके भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

निर्णय :–

4.5.1 इस योजना के अन्तर्गत एजेंसी द्वारा समर्पित विपत्र का भुगतान आवश्यकतानुसार DILRMP/NLRMP Project में उपलब्ध राशि एवं इस मद में उपलब्ध समेकित ब्याज की राशि से करने का निर्णय लिया गया।

4.5.2 भारत सरकार द्वारा इस मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत किए गए कुल 5624.53 लाख रूपये में से विमुक्त राशि 2471.83 लाख रूपये के बाद अवशेष राशि 3152.64 लाख रूपये की मांग भारत सरकार से करने का निदेश दिया गया।

4.5.3 इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुसार अवशेष/छूटे हुए यूनिट के लिए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयारकर भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

4.6 <u>राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन</u> :–

NLRMP/DILRMP के अन्तर्गत बिहार राज्य के समस्त राजस्व ग्रामों से संबंधित राजस्व मानचित्र जो बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग में उपलब्ध था, का डिजिटाईजेशन कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अनुसार कुल 135865 राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य पूर्ण हो गया है। पूर्व में पायलट परियोजना अन्तर्गत शाहाबाद क्षेत्र के 04 जिला तथा मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल के मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य मे0 विजन लैब, हैदराबाद के माध्यम से कराया गया था जो

इनके द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रोप्राईटरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही उपयोग किया जा सकता था, जिसके कारण इसका उपयोग विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत Reference/Input Data के रूप में नहीं किया जा सका।

हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों का उक्त डाटा Standard Format में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शाहाबाद क्षेत्र के 04 जिला यथा– भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर के सभी राजस्व मानचित्रों के कुल 14672 शीट तथा मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी अंचल सभी राजस्व मानचित्रों के कुल 1088 शीट अर्थात् (14672+1088) 15760 शीटों के पुनः डिजिटाईजेशन का कार्य IL & FS, New Delhi द्वारा कराया जा रहा है।

वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost	From 2008-09 to 31.03.2016 (Central sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Central sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.1801/418/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DoM	1000	100%GoI	100%	135864+ 15760= 151624	538.04	215.81	982.62	1198.43	1198.43	0.00

निर्णय :–

4.6.1 बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा मानचित्र डिजिटाईजेशन कार्य के विरूद्ध अधियाचित राशि की आपूर्ति/आवंटन इस मद में संधारित राशि एवं इसी मद में समेकित ब्याज की राशि से करने का निर्णय लिया गया।

4.6.2 भारत सरकार द्वारा इस मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत किए गए कुल 538.04 लाख रूपये में से विमुक्त राशि 215.81 लाख रूपये के बाद अवशेष राशि 322.23 लाख रूपये की मांग भारत सरकार से करने का निदेश दिया गया।

4.6.3 इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुसार अवशेष/छूटे हुए यूनिट के लिए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयारकर भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

4.7 राज्य स्तरीय डाटा केन्द्र :–

इस योजना के अन्तर्गत उत्पादित कम्प्यूरीकृत डाटा के संधारण एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु देश के सभी राज्यों में एक–एक राज्यस्तरीय डाटा सेन्टर स्थापित करने का प्रावधान है। बिहार राज्य के लिए भी राज्यस्तरीय डाटा सेन्टर स्थापित करने हेतु 2.00 करोड़ रूपया प्रावधानित करते हुए प्रस्ताव की मांग की गई थी। वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost	From 2008-09 to 31.03.2016 (Cental sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Cental sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.18014/18/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SDC		100%GoI	100%	1	0	0	0	0	0	0.00

निर्णय :–

4.7.1 DILRMP/NLRMP के मार्गदर्शन के आलोक में वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यकता आधारित प्रस्ताव तैयारकर भारत सरकार को भेजते हुए इस पर स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

4.8 इन्टर कनेक्टीविटी :–

इस योजना के अन्तर्गत राजस्व एवं निबंधन विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यालयों को वापस में इन्टरनेट इत्यादि के साथ जोड़ने अर्थात् इन्टर कनेक्टीविटी करने का प्रावधान है। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्व में राशि भी उपलब्ध कराया गया है तथा यह कार्य बेल्ट्रॉन, पटना के माध्यम से अंचल कार्यालयों में इन्टरनेट स्थापित करने का कार्य भी कराया गया है। वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

omponents	Unit Cost (in lacks)	From 2008-09 to 31.03.2016 (Cental sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Cental sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.18014/18/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inter Conn	3.50	100%GoI	100%	534 + 101 = 635	1928.00	1009.35	-789.22	220.13	220.13	0.00

निर्णय :–

4.8.1 बैठक में इस संबंध में तत्काल भारत सरकार द्वारा इस मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत किए गए कुल 1928.00 लाख रूपये में से विमुक्त राशि 1009.35 लाख रूपये के बाद अवशेष राशि 918.65 लाख रूपये की मांग तथा भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुसार अवशेष/छूटे हुए यूनिट के लिए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार से करने का निर्णय लिया गया।

4.9 जी0आई0एस0 लैब की स्थापना :–

इस योजना अन्तर्गत बिहार सर्वेक्षण कार्यक्रम में अद्यतन राजस्व मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख के निर्माण हेतु हवाई फोटोग्राफी तथा ETS/DGPS द्वारा स्थल–सत्यापन की तकनीक का चयन किया गया है। सर्वेक्षण के प्रथम चरण में बिहार के 20 (बीस) जिलों में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा वृहद परिमाण में "रास्टर एवं वेक्टर" डाटा निर्मित किया जा रहा है। तैयार किए गए रास्टर डाटा की भू–स्थानिक शुद्धता तथा वेक्टर डाटा की भौतिक एवं तार्किक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक इनहाउस GIS लैब के लिए प्रस्ताव प्रेषित है, जिसके संसाधन को सर्वेक्षण की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सके। दिशा निर्देश के तहत Core-GIS उपशीर्षक के अन्तर्गत 850 रूपये प्रति वर्ग किमी0 प्रावधानित है।

उक्त के आलोक में बिहार राज्य में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम से प्राप्त कम्प्यूटीकृत डाटा के गुणवत्ता/शुद्धता की जांच हेतु जी0आई0एस0 लैब की स्थापना के लिए प्राथमिक अवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में Non recurring मांग 19,60,000/– तथा Recurring मांग 59,80,000/– की मांग की गई है। वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost (in Rs)	From 2008-09 to 31.03.2016 (Cental sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Cental sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.18014/18/2012-LRD dt. 05th march 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Core GIS	850.00 Per Sq. Km.	100%GoI	100%		0	0	0	0	0	0.00

निर्णय :–

4.9.1 बैठक में इस विषय पर विचार–विमर्श किया गया तथा राज्य में जी0आई0एस0 लैब की स्थापना हेतु पूर्व से मांग की गई राशि की स्वीकृति एवं आपूर्ति हेतु पुनः स्मारित करने का निदेश दिया गया।

4.9.2 इसके अतिरिक्त NLRMP के मार्गदर्शन के अनुसार जी0आई0एस0 लैब की स्थापना हेतु प्रावधानिक राशि के अनुसार योजना स्वीकृत करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

4.10 बी0पी0एम0यू0 का संचालन :–

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न अवयवों के कार्यों के अनुश्रवण/मूल्यांकन एवं आवश्यक सहयोग हेतु राज्य के मुख्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन शत्–प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से निबंधित सोसाईटी के रूप में करने का प्रावधान है। भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन निबंधित सोसाईटी के रूप में वर्ष 2013 में किया गया है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में 39.20 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया था। प्राप्त राशि के व्ययोपरांत सोसाईटी कार्यालय के संचालन हेतु योजना के संचालन हेतु बैंक खाते में जमा राशि से राशि व्यय करने का निदेश भारत सरकार द्वारा दिया गया। प्राप्त निदेश के आलोक में सोसाईटी कार्यालय का संचालन किया जा रहा है।

वर्तमान में निदेशालय में संधारित आकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

Components	Unit Cost (Per Year)	From 2008-09 to 31.03.2016 (Cental sponsord scheme) Percentage	From 01.04.2016 (Cental sectoral Scheme) Percentage GoI	Unit	Central Share (Amount -in Lakh)					
					Sanctioned (Per Year)	Released	Internal Component amount transfer As per GoI Letter No.1801/4/18/2012-LRD dt. 05th March 2015	Total fund Available (8+9)	Expenditure	Balance Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PMU	34.20	100%GoI	100%	1	39.20	39.20	162.30	201.50	201.50	0.00

निर्णय :–

4.10.1 भारत सरकार द्वारा सोसाईटी कार्यालय के संचालन हेतु 39.20 लाख रूपये मात्र वर्ष 2012 में उपलब्ध कराया गया है, जिसका व्यय वर्ष 2013 में किया गया है। इसके बाद वर्ष 2014 से अबतक एवं अगले वर्ष के लिए प्रावधानित राशि की मांग भारत सरकार से करने का निदेश दिया गया।

5. सोसाईटी कार्यालय का अंकेक्षण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की सम्पुष्टि :–

बिहार राज्य में क्रियान्वित NLRMP/DILRMP के अन्तर्गत संचालित बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट सोसाईटी कार्यालय के द्वारा वित्तीर्ष वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का अंकेक्षण चार्टर एकाउन्टेन्ट के द्वारा कराया गया है। अंकेक्षणोपरांत प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन से समिति को अवगत कराया गया।

निर्णय :–

5.1 अवलोकनो एवं विचारोपरांत समिति द्वारा चार्टर एकाउन्टेन्ट के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के लिए किए गए अंकेक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई तथा इसे शीघ्र भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

5.2 वित्तीर्ष वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि के आधार पर निर्मित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अवलोकनोपरांत भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

6. <u>विशेष सर्वेक्षण के अंतिम मानचित्र का चकबंदी मैप में रूपान्तरण संबंधी पायलट परियोजना</u> :–

DILRMP (Digital India Land Records Modernization Programme) भारत सरकार द्वारा संचालित राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत Computerization of Land records, Map Digitization, Modernization of Record Room Scanning and Digitization of records इत्यादि कार्य किये जाते हैं। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत DILRMP का कार्यक्रम संचालित हो रहा है।

बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों को संचालित करने हेतु तीन निदेशालय कार्य कर रहे हैं–यथा सर्वे एवं भू–अभिलेख निदेशालय, चकबंदी निदेशालय एवं भू–अर्जन निदेशालय। बिहार सरकार के रोड मैप के अनुसार पूरे राज्य में सर्वे का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् चकबंदी योजना से पूरे बिहार राज्य को आच्छादित किया जाना है। राज्य में चकबंदी योजना लागू किया जाना अनिवार्य है।

इस प्रकार चकबंदी योजना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत संचालित योजना है, जो सर्वेक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् इसके डिजिटाईजड आर0ओ0आर0 एवं डिजिटाईज मैप के आधार पर चकबंदी योजना के अन्तर्गत न्यू डिजिटाईज आर0ओ0आर0 एवं डिजिटाईज मैप का निर्माण किया जाना है, जो राजस्व प्रशासन का अंतिम आर0ओ0आर0 एवं मैप माना जायेगा। जिस प्रकार विशेष सर्वेक्षण का कार्य आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है, उसी प्रकार चकबंदी योजना को भी आधुनिक तकनीक का समावेश करते हुए किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत राज्य के एक राजस्व ग्राम का आधुनिक तकनीक से पायलट किया जाना है। जिसके लिए लगभग 5 लाख राशि की आवश्यकता है।

निर्णय :–

6.1 बैठक में उक्त मामले पर विचार–विमर्श किया गया, तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चकबंदी, राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने की एक महत्त्वपूर्ण योजना है। अतः पायलट परियोजना अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण मानचित्र को चकबंदी मानचित्र में रूपान्तरित करने हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाय, ताकि इसमें मानवबल एवं समय दोनों की बचत हो सके।

6.2 बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पायलट परियोजना में होने व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा राजस्व मानचित्रों के डिजिटाईजेशन कार्य हेतु उपलब्ध कराये गए राशि से किया जाय, कारण की चकबंदी का मानचित्र भी राजस्व मानचित्र की श्रेणी में आता है।

7. <u>सोसाईटी कार्यालय के LIS सलाहकार एवं Computer Operator के रिक्त पद पर नियोजन</u> :–

7.1 सोसाईटी कार्यालय के LIS सलाहकार एवं Computer Operator के रिक्त पद पर नियोजन के संबंध में दिनांक 28.02.2020 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिक–03 में प्राप्त निदेश के आलोक में संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित की गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श/मन्तव्य के आलोक में कार्यवाही में लिए गए निर्णय के आलोक में आदेश निर्गत किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

7.2 विभागीय समीक्षा में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त कार्यक्रम के कार्यों की समीक्षा के क्रम में प्रकाश में आया कि LIS सलाहकार का पद रिक्त रहने के कारण विभिन्न प्रकार की तकनीकी कठीनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तकनीकी कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए तत्काल किसी योग्य पदाधिकारी को LIS सलाहकार के पद का प्रभार देने का निर्णय लिया गया।

निर्णय :–

7.2.1 विमर्शोपरांत श्री अखिलेश झा, निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को तत्काल अपने कार्यो के अतिरिक्त Land Information System Consultant -LIS सलाहकार का प्रभार देने का निर्णय लिया गया।

7.3 सोसाईटी कार्यालय में Computer Operator का पद काफी लम्बे समय से रिक्त है। रिक्त पद पर नियोजन के लिए पूर्व में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में काफी मात्रा में आवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदनों में से 01 पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन/चयन में कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इस पद पर जिला पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा लेने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में समाहर्त्ता, पटना से कार्यपालक सहायक से संबंधित सेवा शर्त्त एवं पैनल की मांग की गई है। पटना जिला से सेवा शर्त्त उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार इस पद के लिए सोसाईटी कार्यालय द्वारा निर्धारित दर 15000/– रुपये प्रति माह (सभी कर सहित) से अधिक मानदेय रहने के कारण इस पद पर नियोजन नहीं हो सका है।

निर्णय :–

7.3.1 इस मामले में बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ पुनः विचार–विमर्श किया गया तथा सोसाईटी कार्यालय के कर्मियों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर वर्तमान परिपेक्ष को रखते हुए दर पुनरिक्षित करने पर विचार किया गया। पूर्व में भी दिनांक 28.02.2020 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति के बैठक में सोसाईटी कार्यालय के कर्मियों के पारिश्रमिक में राज्य योजना के मद से 20% राशि की बढ़ोतरी का निर्णया लिया गया। उक्त के आलोक में सोसाईटी कार्यालय को राशि उपलब्ध कराने के संबंध में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा चुका है तथा प्राप्त परामर्श के आलोक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी सोसाईटी कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक वर्तमान परिपेक्ष्य के अनुसार काफी कम है।

7.3.2 वर्णित परिस्थिति में सोसाईटी कार्यालय के विभिन्न पदो के अनुसार सरकार की नीति के अनुरूप समान काम के लिए समान वेतन के आधार पर पुनरिक्षित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिसके अनुसार सोसाईटी कार्यालय के कार्यालय परिचारी के लिए समान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 9534 दिनांक 17.07.2019 के कंडिका–02 (ii) में किये गए अनुशंसा के अनुसार मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी के लिए 18000/– प्रति माह करने का निर्णय लिया गया।

7.3.3 सोसाईटी कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य पद के लिए सामान्य प्रशासन विभाग अन्तर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के पत्रांक 488 दिनांक 07.03.2019 के अनुसार कार्यपालक सहायक वर्ग–2 (इन्ट्री लेवल) के लिए निर्धारित दर 19643/– प्रतिमाह एवं दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में 21383/– प्रतिमाह निर्धारित किया गया।

7.3.4 इसके अतिरिक्त सोसाईटी कार्यालय के शेष पद यथा जी0आई0एस0 सलाहकार, एल0आई0एस0 सलाहाकार, प्रोग्रामर, सहायक एवं लेखापाल पद के लिए भी सामान काम के लिए सामान वेतन के आधार पर दर पुनरिक्षित कर आदेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।

7.3.5 सोसाईटी कार्यालय के उक्त पदों के वेतन पुनरीक्षण के उपरांत सोसाईटी कार्यालय पर आने वाले अतिरिक्त व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त राज्य योजना अथवा NLRMP Project में उपलब्ध समेकित ब्याज की राशि से करने का निर्णय लिया गया।

8. <u>सोसाईटी कार्यालय के GIS सलाहकार एवं लेखापाल के साथ हुए एकरारनामा का अवधि विस्तार :–</u>

8.1 दिनांक 28.02.2020 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही की कंडिका –4.2 में प्राप्त आदेश के आलोक में श्री चंदन कुमार, GIS सलाहकार, बी0पी0एम0यू0 का अवधि विस्तार

03 माह अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 30.06.2020 तक के लिए सशर्त्त किया गया। इसके उपरान्त GIS सलाहकार पद के संभावित रिक्तों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित किया गया। प्राप्त आवेदन पर चयन की कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2020 तक के लिए एकरारनामा/संविदा नियोजन का अवधि विस्तार किया गया है, जिस पर समिति की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाना है।

निर्णय :–

8.1.1 वर्तमान में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदन पर चयन समिति द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है तथा श्री चंदन कुमार, GIS सलाहकार द्वारा सोसाईटी कार्यालय के कार्यो का निर्वहन दिनांक 30.09.2020 के बाद भी किया जा रहा है। वर्णित परिस्थिति में श्री कुमार के साथ किए गए एकरारनामा/संविदा नियोजन का पूर्व में किए गए अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति एवं तत्काल अवधि विस्तार, योजना की अवधि विस्तार अर्थात दिनांक 31.03.2022 तक, करने का निर्णय लिया गया, बर्शेते कि NLRMP से वर्ष 2020–21 में राशि प्राप्त हो एवं इनके द्वारा 2020–21 का कार्य अध्ययन द्वारा संतोषजनक पाया गया हो।

8.2 दिनांक 28.02.2020 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही की कंडिका–4.3 में प्राप्त आदेश के आलोक में श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0 को सशर्त्त अवधि विस्तार 03 माह अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 30.06.2020 तक के लिए किया गया। इसके उपरान्त लेखापाल के पद के संभावित रिक्त के विरुद्ध विज्ञापन की कार्रवाई की जा रही है, परन्तु इस पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में पुनः 03 माह अर्थात् दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक के लिए एकरारनामा/संविदा नियोजन का अवधि विस्तार किया गया है, जिस पर समिति का घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाना है।

निर्णय :–

8.2.1 सोसाईटी कार्यालय के लेखापाल पर पर श्री संतोष कुमार द्वारा कार्यो का निर्वहन अविध विस्तार की प्रत्याशा में दिनांक 30.09.2020 के बाद भी कराया जा रहा है, वर्णित परिस्थिति में श्री संतोष कुमार के साथ किए गए एकरारनामा/संविदा नियोजन का पूर्व में किए गए अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति एवं तत्काल अवधि विस्तार, योजना की अवधि विस्तार अर्थात दिनांक 31.03.2022 तक, करने का निर्णय लिया गया, बर्शेते कि NLRMP से वर्ष 2020–21 में राशि प्राप्त हो एवं इनके द्वारा 2020–21 का कार्य अध्ययन द्वारा संतोषजनक पाया गया हो।

9. <u>सोसाईटी कार्यालय के विस्तारीकरण के संबंध में</u> :–

दिनांक 28.02.2019 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट सोसाईटी कार्यालय के विस्तारीकरण से संबंधित प्रस्ताव से समिति को अवगत कराया गया। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव अध्ययन किया गया तथा निर्मित विस्तारीकरण प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।

निर्णय :–

9.1 सोसाईटी कार्यालय के विस्तारीकरण से संबंधित प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित कर विभाग का मंतव्य/परामर्श प्राप्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

10. <u>Training and Capacity Building Programme</u>:-

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP/DILRMP के अंतर्गत राज्य में विभिन्न कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण का कार्य भी कराया जा रहा है। विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर

नियोजन की कार्रवाई की गई है। नियोजित कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण एवं राजस्व संबंधित प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य कराया जा रहा है।

राजस्व से संबंधित कर्मचारियों/पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा इन कर्मियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, बिहार, पटना के छात्रावास एवं सभा कक्ष को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से आवश्यक उपकरणों एवं उपस्करों का क्रय एवं अधिष्ठापन का कार्य भी कराया गया है।

उक्त से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया तथा समिति द्वारा विमर्शोपरांत निम्न प्रकार निर्णय लिया गया :–

10.1 Training and Capacity Building Programme के अंतर्गत निदेशालय स्तर से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर हुए व्यय इत्यादि के लंबित नियमानुकूल भुगतान, तत्काल NLRMP Project बैंक खाता में संधारित ब्याज की राशि से की जाय।

10.2 वर्तमान वित्तीय वर्ष में शेष माह के लिए जिलों में पदस्थापित नवनियोजित कर्मियों एवं कार्यरत कर्मियों को सर्वेक्षण एवं राजस्व से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण हेतु कलेन्डर तैयार करने का निदेश दिया गया तथा इसमें होने वाले व्यय भार का वहन NLRMP Project में उपलब्ध समेकित ब्याज की राशि से करने का निर्णय लिया गया।

10.3 इसी कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, बिहार, पटना के छात्रावास एवं सभा कक्ष को प्रशिक्षण के लायक व्यवस्थित करने के उद्देश्य से वर्तमान में क्रय किए गए उपस्कर इत्यादि पर हुए व्यय का भुगतान NLRMP Project में उपलब्ध समेकित ब्याज की राशि से करने का निर्णय लिया गया।

10.4 उक्त के अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थान एवं छात्रावास को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यकतानुसार अन्य उपस्कर इत्यादि का क्रय एवं अधिष्ठापन इत्यादि का कार्य NLRMP Project में बैंक खाता में संधारित समेकित ब्याज की राशि से करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि उक्त संस्थान को पूर्णरूपेण कार्यकारी बनाया जा सके।

10.5 राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, बिहार, पटना के छात्रावास स्थित प्रशिक्षण कक्ष/सभा कक्ष एवं प्रशासनिक भवन के ट्रेनिंग हॉल में प्रशिक्षण के दौरान कक्ष में आवाज गूंजता रहता है, जिससे प्रशिक्षण में व्यवधान उत्पन्न होता है। वर्णित परिस्थिति में उक्त सभी कक्ष को प्रशिक्षण के उद्देश्य से Renovation अर्थात् Wooden Flooring एवं False Ceiling का कार्य कराने का निर्णय लिया गया।

10.6 बैठक में लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाईन माध्यम से नियोजित होने वाले कर्मियों को दिए गए ऑनलाईन ट्रेनिंग कार्यक्रम से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया तथा निदेशालय/मुख्यालय स्तर पर ऑनलाईन ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रेक्चर विकसित करने पर विचार–विमर्श किया गया। समीक्षोपरांत निदेशालय स्तर पर ऑनलाईन ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रेक्चर विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस पर होने वाले व्यय भार का वहन Training and Capacity Building Programme अन्तर्गत तत्काल NLRMP Project में उपलब्ध समेकित ब्याज की राशि से करने का निर्णय लिया गया।

11. <u>Information, Education and Communication - IEC</u>:-

केन्द्र प्रयोजित योजना NLRMP/DILRMP के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं/कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार का कार्य व जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से करने का मार्गदर्शन NLRMP Guidelines में दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार स्तर से ग्राम, ग्राम

पंचायत, अंचल, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रचार–प्रसार करने का मार्गदर्शन है। इसके लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा स्लाइड, बैनर, विडियो फिल्म, Road Show, प्रकाशन एवं साहित्य के माध्यम से भी किये जाने का मार्गदर्शन है।

उक्त के आलोक में राज्य स्तर से NLRMP योजना अंतर्गत क्रियान्वित सभी योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी आम नागरिकों/रैयतों को उपलब्ध कराने तथा जन–भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न स्तर पर प्रचार–प्रसार इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है, परन्तु इस मद में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण इससे संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है।

वर्णित परिस्थिति में विमर्शोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:–

11.1 वर्तमान में NLRMP/DILRMP योजना से संबंधित विभागीय वृत चित्र का निर्माण IEC हेतु वाह्यस्त्रोत एजेंसी के माध्यम से कराया गया है। उक्त का भुगतान तत्काल NLRMP Project में संधारित ब्याज की राशि से किया जाए।

11.2 इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार इस योजना के प्रचार–प्रसार हेतु मार्गदर्शन के आलोक में समाचार पत्र, बैनर, वाल पेन्टिग, नुक्कड़ नाटक, रेडियो एवं टेलीविजन इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की योजना तैयार करने का निदेश दिया गया तथा व्यय भार का आकलन कर राशि भारत सरकार से मांग करने का निदेश दिया गया।

12. Model Law for Conclusive Titling and Evaluation :-

इस योजना के लिए निर्मित मार्गदर्शिका के अनुसार Model Law for Conclusive Titling एवं Evaluation का भी मार्गदर्शन है। समिति द्वारा इससे अवगत होते हुए निम्न निदेश दिए गए :–

12.1 अधिकार अभिलेख निर्माण के लिए आवश्यक वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्न्तराज्यीय कार्यशाला आयोजन करने का प्रस्ताव तैयार किया जाय तथा कार्यशाला में व्यय होने वाली राशि का आकलन कर भारत सरकार से राशि की मांग की जाय।

12.2 विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए चयनित जिलों में टाईटल सूट के त्वरित निष्पादन करने हेतु निदेश निर्गत करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाय।

13. कार्यों का मूल्यांकन :–

13.1 NLRMP/DILRMP योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के Evaluation के लिए स्थानीय स्तर पर किसी योग्य एजेंसी का चयन करने का निर्णय लिया गया।

14. अन्यान्य :–

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP/DILRMP के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन/कार्यान्वयन के क्रम में विभिन्न प्रकार के विविध कार्यो का किया जाना आवश्यक होता है। इन कार्यो के संचालन/निष्पादन, बजट/आंवटन इत्यादि के अभाव में ससमय नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में इन कार्यो पर प्रतिकुल असर पड़ता है तथा सरकारी कार्यो में अनावश्यक विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होती है।

निर्णय :–

14.1 समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विविध कार्यो का निष्पादन/संचालन इत्यादि का कार्य NLRMP Project के बैंक खाता में संधारित समेकित ब्याज की राशि से अध्यक्ष, कार्यकारिणि समिति के अनुमोदन/अनुशंसा प्राप्त कर किया जाए तथा अगली बैठक में व्यय पर समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

14.2 सोसाईटी कार्यालय के शासी निकाय की बैठक आयोजित करने के लिए शासी निकाय के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, बिहार से तिथि एवं समय निर्धारित करने का अनुरोध किया जाए।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–
(सोमेश कुमार)
वैज्ञानिक – एफ
तकनीकी निदेशक,
एन0आई0सी0, पटना।

ह0/–
(अवधेश कुमार झा)
सहायक निबंधन महानिरिक्षक
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/–
(जय सिंह)
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप–सह–
सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति
बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
–सह–अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति
बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक : 17– PMU (बैठक)–155/2014 11389 पटना, दिनांक:– 04-12-2020

प्रतिलिपी : सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17– PMU (बैठक)–155/2014 11389 पटना, दिनांक:– 04-12-2020

प्रतिलिपी : लेखापाल, बी0पी0एम0यू0, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।